REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 13 | ISSUE - 3 | DECEMBER - 2023

रीवा जिले की कोल जनजाति की सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन

छत्रपाल सिंह गौर[1] , डॉ. आर.के. शर्मा[2]
[1]शोधार्थी भूगोल, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा (म.प्र.)
[2]प्राचार्य , इन्द्रा स्मृति महाविद्यालय, न्यू रामनगर, सतना (म.प्र.)

सारांश –

रीवा जिले की जनजातियों के सामाजिक संगठन में गोड़ एक बृहद जनजातीय समुदाय है। यह जनजाति अनेक समुदाय के उपजातियों के समूहों से मिलकर बनी है। नृजातीय साहित्य में कोल अपने विशाल सामाजिक संगठन के कारण बहुचर्चित है। यह जनजाति केवल रीवा जिले की नहीं सम्पूर्ण रीवा सम्भाग, सतना, जबलपुर के पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजाति है तथा अलग–अलग क्षेत्रों में विभिन्न उपजाति के नाम से जानी जाती है। जिले में गोड़ जनजाति कई गोत्रों के परिवार में विभक्त है, सामाजिक संगठन की मूल इकाई इनकी परिवार होती है, इनके परिवार सामान्य रूप से छोटे–छोटे होते हैं। परंतु जिले के कुल आदिवासी बाहुल्य ग्रामों जैसे आदिवासी बाहुल्य कोल जनजाति अंतर्गत जवा एवं त्योंथर विकासखण्ड में कोलहुआ, गेदुरहा, बडौद, हडहोई, छतैनी आदि ग्रामों में इनके परिवार काफी विस्तृत पाये गये हैं। यहाँ कोलों की संख्या सर्वाधिक पायी गई है। भारतीय संविधान की धारा 342 का सम्बन्ध अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित एक विशेष व्यवस्था से है। उसमें अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि इनमें वे जनजातियाँ, जनजातीय सम्प्रदाय या जनजाति और जनजातीय समुदायों के समूह या वर्ण शामिल होंगे, जिन्हें राष्ट्रपति सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा घोषित करेंगे, ऐसा माना जाता है कि जनजाति के लोग राष्ट्रीय जनसंख्या के प्राचीनतम मानव समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं।

मुख्य शब्द – रीवा जिला, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक व्यवस्था एवं प्रतिनिधित्व ।

प्रस्तावना –

जनजातीय समाज के सदस्यों की अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक व्यवस्था थी, किन्तु जब विकास के क्रम के चलते बाहरी लोगों का प्रवेश जनजातीय क्षेत्रों में हुआ तब जनजातीय समाज के सदस्य बाहरी लोगों के सम्पर्क में आये। सम्पर्क में आने के कारण जानजातियों की परम्परागत सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति, रीति–रिवाज, संस्कार, छिन्न–भिन्न हो गई है। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव से इनमें सांस्कृतिक परिवर्तन, शोषण, उत्पीड़न भी होने लगा। विकास के क्रम में उनका विस्थापन तथा नगरों एवं महानगरों की ओर युवा–युवतियों का तेजी से पालायन करने की दर में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। जिले के वनाँचल में स्थिति शत–प्रतिशत जनजातीय बाहुल्य ग्राम जहाँ कोल जनजाति के लोगों का संकेद्रण पाया जाता है, ऐसे ग्रामों में कोल जानजाति के युवाओं में पालयन करने की दर तीव्र पायी गई है। ये युवा रोजगार की तलाश में देश के महानगरों जैसे – पूना, सूरत, नागपुर, मुम्बई, नासिक, अहमदाबाद, इन्दौर, आदि अन्य स्थानों की ओर पलायन कर चुके हैं।

अध्ययन क्षेत्र में जनजातियों की सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन की स्थिति की सर्वाधिक धनात्मक का एक बहुत बड़ा भाग अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की आवश्यकता के प्रति जागरूता की स्थिति में पहुँच चुका है तथा उसके प्रति अत्यन्त क्रियाशीलता है, किन्तु उनकी यह माँग उचित है कि सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन एवं प्रगति व उनका विकास जीवन की विशिष्ट जीवन शैली व सामन्जस्य उपद्रवित न करे। वे अधिकता अपनी निजी समस्याओं द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते हैं, एक जनजातीय गृह तथा परिवार वह मूल आधार है, जिस पर उनके कल्याण का भावी भवन निर्मित हो सकता है, ऐसी स्वतंत्रता जो उन्हें इस बात का निर्णय करने की आजादी नही देती कि वह अपने भाग्य को किस प्रकार मोड़ेंगे, सरकारी कार्यक्रम जो उन्हें यह विकल्प नहीं देते कि वह अपने विकास को कैसे तथा किन उद्देश्य के लिए संगठित करेंगे उनके लिए नितान्त अर्थहीन है। समकालीन जनजातीय स्थिति का एक महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका हम सामना कर रहे है वह अनुसूचित जनजातियों की परिवर्तन व उनके समाजिक हितों मे सामंजस्य स्थापित करना। इस प्रकार का सामंजस्य समस्या में अन्तर्निहित प्रश्न अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों का स्पर्श करते हैं तथा जरा सा गलत निर्वाह हिंसात्मक प्रक्रिया का आह्वान कर सकता है।

विश्लेषण –

रीवा जिले की कोल जनजाति की सामाजिक व्यवस्था सदियों से भिन्न रही है। इनके समाज में एक भिन्न प्रकार की मान्यताएँ हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः वह मानव समूह व सामाजिक समूह में रहना पसन्द करता है। इन्हीं सामाजिक समूहों के संगठन को समाज कहते हैं। समाज के ये संगठित समूह समान हितों और समान नेतृत्व के आधार पर इसका निर्माण करते हैं। जनजातीय समाजों में या सरल समाजों में किसी व्यक्ति, समाज में स्थान, उसके अधिकार और कर्तव्य, सम्पत्ति पर अधिकार प्रायः दूसरे सदस्यों के साथ उसके जन्मजात सम्बन्धों पर निर्भर होते हैं। इन समाजों की संरचना के मुख्य तत्व कुल समूह, गोत्र, भ्रातृदल या गोत्र समूह तथा युग्म संगठन या अर्द्धक हैं, जिनका भी विश्लेषण सामाजिक संगठन को प्रकाश में लाने हेतु आवश्यक है। साथ ही जनजातियों के सामाजिक संरचना एवं उनके संगठन के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों, समाजशास्त्रियों, मानव वैज्ञानिकों द्वारा व्याख्या की गई है, जो निम्नानुसार है –

कुल समूह –

जनजातियों के सामाजिक जीवन और संगठन का एक महत्वपूर्ण आधार कुल समूह होता है। हॉबल के अनुसार, कुल समूह साधारणतः पाँच या छः पीढ़ियों से अधिक, पहले का एक परिचित संस्थापक या सामान्य पूर्वज के उत्तराधिकारी का एक विस्तृत और एक पक्षीय रक्त सम्बन्धित (खूनी सम्बन्ध) समूह होता है। वह एक काल्पनिक या पौराणिक व्यक्ति नहीं बल्कि एक वास्तविक पुरूष होता है। संक्षेप में कुल समूह एक सामान्य ऐतिहासिक और वास्तविक पूर्वज से सम्बन्धित समस्त रक्त सम्बन्धी वंशजों का एक समूह होता है। अतः कुल दो प्रकार के होते हैं– (1) मातृ वंशीय कुल समूह (2) पितृ वंशीय कुल समूह। मातृ वंशीय कुल समूह के अंतर्गत पत्नी, उसकी बहनें और उनके बच्चे आते हैं, भाई या उनके बच्चे कुल के बाहर चले जाते हैं, इसके विपरीत पितृ वंशीय कुल समूह के अन्तर्गत पुरूष, उसके भाई और उसकी संताने ही आती है, बहने, बच्चे उनके कुल के बाहर चले जाते हैं।

जनजातियों में उपरोक्त दोनों प्रकार के कुल समूह पाये जाते हैं और सामाजिक अथवा पारिवारिक संगठन में इसका अत्यधिक महत्व है। भारत के विभिन्न प्रदेश के जिलों में मातृ वंशीय कुल समूह के जनजाति पाये जाते हैं, साथ ही कुल जिलों में पितृ वंशीय कुल समूह के जनजाति पाये जाते हैं। मध्य भारत के बघेलखण्ड अन्तर्गत शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सिंगरौली, सीधी आदि जिलों में इसी कुल समूह की जनजातियां पायी जाती है।

गोत्र –

जनजातियों के सामाजिक संगठन का दूसरा और एक महत्वपर्ण आधार गोत्र है। गोत्र को कई कुलों का समूह कहा जाता है जो माता या पिता किसी एक पक्ष के समस्त रक्त सम्बन्धियों से मिलकर बनता है, दूसरे शब्दों में गोत्र कुल का ही एक विस्तृत रूप होता है। माता या पिता किसी के कुल के सभी रक्त सम्बन्धियों को

अगर जोड़ा जाय और अगर इस प्रकार के कुल समूह में एक ही पूर्वज की भी संताने सम्मिलित कर दी जाती है अथवा संतानों को सम्मिलित कर दी जाये तो उसे गोत्र कहते हैं, अतः दूसरे शब्दों में कई कुल मिलाकर एक गोत्र बनते हैं। गोत्र का आरम्भ परिवार के किसी प्रमुख पूर्वज से होता है। पूर्वज प्रमुख और प्रतिष्ठित होने के कारण उसे उस परिवार का प्रवर्तक माना जाता है। इस कारण उसी के नाम से परिवार के सब वंशजों का परिचय दिया जाता है और सब मिलकर एक गोत्र बनते हैं, ये वंशज जो मातृवंशीय कुल समूहों के होते हैं अथवा पितृवंशीय कुल समूह के होते हैं। माता और पिता दोनों पक्षों के कुल समूहों को मिलाकर गोत्र का निर्माण कभी नहीं होता, गोत्र सदैव एक पक्षीय होता है।

अतः जनजातियों के सामाजिक संगठन के आधार पर गोत्र की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं –

1. गोत्र एक बहिर्विवाही समूह है। चूंकि एक गोत्र के सभी सदस्य अपने को एक सामान्य पूर्वज की संतान मानते हैं, इसी कारण से वे एक दूसरे के भाई अथवा बहन हुए। इसीलिए जनजातियाँ अपने किसी गोत्र से सम्बन्धित व्यक्ति से विवाह नहीं करते हैं।
2. सामाजिक संगठन में गोत्र का संगठन एक सामान्य पूर्वज की कल्पना पर आधारित है। यह पूर्वज वास्तविक भी हो सकता है और काल्पनिक अथवा पौराणिक भी हो सकता है, ऐसी इनमें सामाजिक मान्यता है।
3. गोत्र की प्रकृति एक पक्षीय होती है अर्थात एक गोत्र में या तो माता की ओर के सब परिवारों का संकलन होता है अथवा पिता के ओर के सब परिवार सम्मिलित होते हैं। अतः सामाजिक संगठन के आधार पर गोत्र दो प्रकार के होते हैं। अतः उपरोक्त गोत्र की दी हुई विशेषता के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है–

(अ) मातृवंशीय गोत्र – इसमें एक स्त्री पूर्वज की जितने भी संताने होती हैं, वे सब इस गोत्र के सदस्य मानी जाती है। परिवार की एक स्त्री उसकी बहनें और उनके बच्चे भी इस गोत्र के सदस्य होते हैं। दूसरे शब्दों में एक स्त्री, उसके बच्चे, उस स्त्री की बहनें और उनके बच्चे की लड़कियों के बच्चे सब मातृ वंशीय गोत्र में शामिल है लेकिन भाइयों के बच्चे इनके अन्तर्गत नहीं आते।

(ब) पितृ वंशीय गोत्र ऐसे गोत्र में एक पुरूष, उस पुरूष की संताने और उसके भाइयों की संताने सम्मिलित होती हैं, परन्तु बहनों की संताने ऐसे गोत्र में नहीं आती।

भातृदल या गोत्र समूह –

कोल जनजाति सामाजिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बहुधा एकाधिक गोत्र एक साथ मिलकर एक सामान्य संगठन को विकसित करते हैं। यही भातृदल या गोत्र समूह है। श्यामाचरण दुबे ने ऐसी बात को समझाते हुए लिखा है कि संगठन की दृष्टि से कभी कई गोत्र मिलकर एक बृहत समूह बना लेते हैं। इसे भातृदल या गोत्र समूह कहते हैं।

मजूमदार और मदान के गोत्र समूह की परिभाषा के अनुसार, जब एक या अन्य कारणवश एकाधिक गोत्र मिल जाते हैं तो इस सम्मिलित समूह को गोत्र समूह या भातृदल कहते हैं या कई गोत्रों को सम्मिलित रूप से भी भातृदल कहते हैं परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं कि इस प्रकार संयुक्त हो जाने से गोत्र का पृथक अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वास्तव में भातृ दल प्रत्येक गोत्र के सदस्य की सामुदायिक भावना का विस्तार मात्र है और वह सदस्य अपने गोत्र तथा भातृदल दोनों के ही वफादार रहते हुए लोग अपने नैतिक व सामाजिक कर्तव्यों और कार्यों को निभाता रहता है।

दुबे ने भातृदल का उदाहरण देते हुए लिखा है कि आदिलबाद के गोड़ों में चार भातृदल इस प्रकार है – (1) येर वेन सगा (2) सार वेन सगा (3) निवेन सगा (4) नाल वेन सगा। इसमें प्रत्येक भातृदल में एकाधिक गोत्र सम्मिलित हैं, जैसे–येर वेन सगा के अन्तर्गत मुड़ावी, पुरका, मासे कोला, पाण्डारा, वर्मा तथा मेश्राम गोत्र आते हैं। इसी प्रकार अन्य भातृ दलों में भी एकाधिक गोत्र सम्मिलित हैं। भातृदल में विवाह सम्बन्धी प्रतिबंध उतना दृढ़ और निश्चित नहीं होता है जितना कि गोत्र में होता है। इस कारण भातृदल बर्हिविवाही भी हो सकता है और नहीं भी। जैसे टोडा जनजाति के हो भातृदल, तास्था पोल तथा तिलियल अर्न्तविवाही हैं। उसी प्रकार अंगामी नागा पहले तो अर्न्तविवाह करते थे, परंतु अब नहीं करते।

युग्म संगठन व अर्धक –

अगर एक कोल जनजाति के सभी गोत्र केवल दो भागों में विभाजित होकर संगठित हो तो उस पूरे संगठन को युग्म संगठन या द्विदल संगठन कहते हैं और इनमें से प्रत्येक भाग को अर्थात् युग्म संगठन के आधे हिस्से को अर्धक कहते हैं। यह अधिक बर्हिविवाह समूह होते हैं और इस कारण एक गोत्रार्ध के सदस्य अपना विवाह सम्बन्ध दूसरे गोत्र के सदस्यों के साथ ही करते हैं। वोण्डों लोगों में युग्म संगठन है जो दो गोत्रार्ध, ओटल तथा किल्लो को लेकर बना है। ये दोनों ही बर्हिविवाही अर्धक हैं। इसी प्रकार आदिलबाद के राज गोड़ों में भी द्विदल संगठन देखने को मिलते हैं अर्थात् इस जनजाति के सभी गोत्र केवल दो भागों में विभाजित होकर संगठित हैं। इनमें से एक है पाण्डवेन सगा और दूसरा है सर्व सगा। पाण्डवेन सगा के अन्तर्गत अभाम, गेडाम, तोडो खाम, कोटमाका, कोरेंग, अड़ाम, कोड़ाम, दानाम, दुगाम, काचीपूर, बेलाड़ी, कोचेरा विका, पेण्डुर, कोटेल, उखेन्ता, कुडमेन्ता और वाडे गोड़ सम्मिलित हैं जबकि सर्वेखगा के अन्तर्गत तुमराम, कोडापा, राय–सियाराम, बेटी, सबाम, मरापा, हेरे कुमरा और पहाड़ी गोत्र आते हैं।

दुबे के अनुसार कोल अनेक जनजातियाँ ऐसी भी होती हैं, जिनमें अलग–अलग गोत्र हैं, पर गोत्रों को मिलाकर गोत्र समूह का एक पृथक संगठन नहीं है। उदाहरण के लिए अनेक जनजातियाँ ऐसे भी होती है जिनमें अलग–अलग गोत्र हैं, पर गोत्रों को मिलाकर गोत्र समूह का एक पृथक संगठन नहीं है उदाहरणार्थ – छत्तीसगढ़ के कमार जनजाति समूह में निम्नलिखित गोत्र हैं – जगत, नेताम, मरकाम, खोरी, कुत्रौम, भरई और छेदउहा। उसी प्रकार संथालों में 100 से अधिक गोत्र हैं, "हो" जनजाति में लगभग 5 और मुण्डा लोगों में 64 गोत्र पाए जाते हैं।

टी.सी. दास ने भारत में जनजातीय संगठन को सात वर्गों में वर्गीकृत किया गया है –

(1) परिवार – स्थानीय समूह जनजाति
(2) परिवार – गोत्र जनजाति
(3) परिवार – अर्धक जनजाति
(4) परिवार – गोत्र कुल समूह जनजाति
(5) परिवार – गोत्र कुल समूह अर्धक जनजाति
(6) परिवार – गोत्र उप जनजाति
(7) परिवार –उपगोत्र चुने हुए गोत्र जनजाति

परन्तु दुबे के अनुसार भारत की ये जनजातिक रूपरेखा की रचना परिवार, फिर गोत्र एवं कुल समूह तथा अन्ततः जनजाति द्वारा होती है। विद्यार्थी के अनुसार, भारत की सर्वाधिक जनजातियाँ व्यक्ति, परिवार, गोत्र, जनजाति श्रेणी में आती है। इसे संगत मानकर क्षेत्रों के पूर्व निर्दिष्ट विभिन्न व्यावहारिक वर्गीकरणों के आधार पर भारत के चार जनजातीय क्षेत्रों में उपर्युक्त उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है।

उत्तरी पूर्वी भारत की जनजातियाँ –

(क) उत्तरी पूर्वी हिमालय की जनजातियों का सामाजिक संगठन – उत्तरी पूर्वी हिमालय क्षेत्र में मेघालय की जनजातियाँ गारो, खासी तथा जयन्तिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गारो जनजाति एवं घीसाकन्द आदि विभिन्न उपजातियों में विभाजित है। पुनः ये उपजनजातियां चात्वियों में बंटी हुई है तथा फिर विभिन्न गोत्रों में। चात्वियों में कुछ गोत्र जैसे – भरक, मोमिन, सोन्हामा, सिरातिया एवं एरंग भी सम्मिलित हैं। ये गोत्रों का समूह मानी जाती है। कुछ गोत्र, अब कुछ उपगोत्रों में विभाजित होने की स्थिति में आ गये हैं। बाक्षेयर गांव के गाविल क्षेत्र के लोग अपने को गाविल गोत्र कहते हैं।

वह इकाई या वर्ग जिस पर समाज आधारित है मिचोड़ छोटा है, जिसका अर्थ मातृभूमि है। यह परिवार नहीं है। मिचोड़ के सभी सदस्य अपनी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानते हैं। अन्य सामाजिक ईकाई है (महारी) जो गोत्र कुल के अन्तर्गत एक प्रभावशाली ईकाई है। इसलिए गारो की सामाजिक रूपरेखा जनजाति, उपजनजाति–गोत्र उपगोत्र–महारी–परिवार व्यक्ति जैसी है। पुनः गारो, गोड़ों वर्ग के नाम से प्रसिद्ध जनजाति समूह की सदस्य जनजाति है। खासी के चार सामाजिक वर्ग है – कीसियस, कीलिन, गोत्र मंत्री, गोत्र आदि।

कभी कभी इस जनजाति का वर्गीकरण बर्हिविवाही गोत्रों में किया जाता है तथा बर्हिविवाही गोत्र स्थानीय परिवारों में भी। इस प्रकार यह जनजाति सामाजिक श्रेणी, गोत्र परिवार व्यक्ति जैसे वर्ग की रचना करती है। जयन्तिया या लोगों की नातेदारी या गोत्र पर आधारित है। उनमें लघुकुल भी है जिन्हें उपगोत्र कहा जा सकता है। इसलिए वे जनजाति गोत्र, उपगोत्र, परिवार, व्यक्ति की रूपरेखा की रचना करते हैं।

इसके बिना हुसुक के नाम से प्रचलित जनजाति अनेक बर्हिविवाही गोत्रों में विभाजित है। हिन्दू धर्म से प्रभावित रामा हुसुक को गोत्रों कहते हैं और उसके सदस्य वंश परम्परा स्त्री कुल से मानते हैं तथा पिता के गोत्र की उपेक्षा की जाती है। दास के अनुसार प्रत्येक रामा शाखा में वार या बराई नामक अनेक गोत्र होते हैं। दो या अधिक वारों के परस्पर संयोग से हुर या हुरी नाम वंश का निर्माण होता है। अच्छा यही है कि अनेक वर्गीकरण को बार कुल समूह कहा जाए। दास तथा राहा ने तीस गोत्रों की खोज की है किंतु उनके अनुसार यह पूर्ण नहीं है। उनमें से कुछ का नाम वादा, बन्ना, कन्तरन, कारा, कामा, मोयजी, नोगोरा, उनी आदि हैं। इनमें से कुछ गोत्र, उपगोत्रों में विभाजित हैं। इन उपगोत्रों के बीच विवाह या यौन सम्बन्ध वर्जित है। उदाहरण के लिए बान्दा गोत्र में बान्दा धाई, बान्दा सुसुक तथा बन्दा सग उपगोत्र कन्तरन गोत्र में हेठम कन्तरन तथा हसक कन्तरन, कामा गोत्र में कामरमा तथा कमारा समहत्री, मेयत्री, गोत्र में मोयजी डोना, मोयजी खाम्पर, मोयजी नाल, मायो जीयान, मोयजी योग तथा मोय जी भोमरा आदि उपगोत्र हैं। इनकी पारिवारिक व्यवस्था ही सबसे छोटा सामाजिक समूह है। संरचना की दृष्टि से इनमें पितृवंशीय तथा मातृवंशीय दोनों ही प्रकार के परिवार पाये जाते हैं।

मध्य भारत की जनजातियों का सामाजिक व्यवस्था –

मध्य भारत की जनजातियों के सामाजिक व्यवस्था की दृष्टिकोण से उत्तरी पूर्वी क्षेत्र अन्तर्गत बघेलखण्ड पठार के जिले जैसे सीधी, सिंगरौली, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल की प्रमुख जनजति गोड़, बैगा, पनिका, खैरवार आदि है, इसी प्रकार छोटा नागपुर पठार अन्तर्गत निवासरत जनजाति मुडा, उरांव तथा हो जनजाति है, ये लोग बर्हिविवाही गोत्र में बंटे हैं। इसके अतिरिक्त देलकी, खरिया, कोरवा, पहाड़ी कोरवा, मैदानी कोरवा मूलतः शिकारी एवं भोज्य पदार्थ संगहित करने वाले होते हैं। पलामू की पहाड़ियों के सामाजिक संगठन का फलक वंश है, उनमें गोत्र संगठन नहीं है परन्तु उनकी वंश प्रणाली और खण्डित प्रवृत्ति की है। मालेर गौत्र परिवारों का एक समूह है जो गत्वा वंशावली से सम्बन्धित है। मालेरो के यहां वंश एक संहत समूह होता है तथा उनका सामाजिक जीवन में विशेषकर जन्म, विवाह तथा मृत्यु के अवसरों पर आयोजित समारोहों के समय एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक इकाई है। उनके यहां माता एवं पिता दोनों पक्ष के सम्बन्धियों को समान महत्व प्रदान किया जाता है। यहां पर वंश को अपना उचित महत्व मिलता है। परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है। इस प्रकार वृहत सन्दर्भ में उनकी रूपरेखा का उल्लेख इस प्रकार से किया जाता है। पहाड़ियों की जनजाति का एक सदस्य जनजाति क्षेत्रीय समूह–परिवार–व्यक्ति। छोटा नागपुर के विरहोर उथलु या मूल्या अर्थात् भ्रमणशील तथा जंघी या आवासित, इन दो शाखाओं में विभक्त है। इसके पश्चात में अन्य जनजातियों के समान गोत्रों में बंटे हुए हैं तथा अन्त में परिवार की प्राथमिक इकाई आती है। इसलिए इसका सामाजिक प्रकार यह है – जनजाति उप जनजाति – गोत्र–परिवार–व्यक्ति।

पश्चिम भारत की जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था –

पश्चिम भारत में भील, कोली, महादेव, गोड़, बर्ली, कोन्का, ठाकुर, कठोडिया, गामित, डब्ला, घोन्जिया आदि प्रमुख जनजातियाँ हैं। भील मध्य भारत एवं पश्चिम भारत के विस्तृत क्षेत्र में बसे हुए हैं। नाथ का विचार है कि ऐसा विश्वास करने के अनेक प्रमाण है कि झील के नाम से ज्ञात सभी लोग एक ही जनजाति में नहीं आते हैं। इसके विपरीत ऐसा विश्वास किया जाता है कि संलग्न क्षेत्रों में निवास करने वालों में और मैदानी इलाकों में रहने वालों की दृष्टि में जीवनयापन की प्रणाली में बाहरी समानता रखने वाली जनजातियों के पूरे वर्ग को सम्भवतः एक ही संज्ञा में जबरजस्ती सम्मिलित कर दिया गया है। भील लोग किसी न किसी प्रकार के भोज का आयोजन करते रहते हैं। इन भीलों में मुख्य रूप से मवासी, भील, रावल, गड़ेरिया, दुगरी आदि हैं। महाराष्ट्र के भील नारी तथा मुसलमान पुरूष की संतान और गुजरात में तडवी हिन्दू हैं। जनजातियों के सामाजिक संगठन का अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि गोत्रों के इससे भी छोटे खण्डों में विभाजन की

प्रक्रिया चलती है। कुछ राज्यों की जनजातियों में सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप लगभग समान है, इनकी गोत्र एवं पारिवारिक इकाइयां सामान्य है, ये लोग सदैव कुस नाम का व्यवहार उपनाम के रूप में करते हैं। भारत के पश्चिमी भाग की जनजातियों में इस प्रकार का सामाजिक संगठन पाया गया है।

दक्षिण भारत की जनजातियों का सामाजिक व्यवस्था –

दक्षिण भारत की जनजातियों में दो समान सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इनमें अधिक प्रचलित सामाजिक इकाइयां गोत्र तथा परिवार है। अधिकतर गोत्रों के नाम इन जनजातियों द्वारा आवास या निवास क्षेत्र के आधार पर रखे गये हैं। दक्षिण भारत की जनजातियों के लिये गोत्र एक बर्हिविवाही समूह है। दक्षिण भारत के केरल राज्य के आदिवासियों के यहां वढ़क, मण्डू, तिसनेल्ली, माण्डू, पोथोन मण्डू आदि नाम से ज्ञात मोण्डू हैं। ये नाम उनके आवास अथवा निवास स्थान का संकेत करते हैं। उनमें कुलम है जो बर्हिविवाही विवाह में सहायक सिद्ध होते हैं। इरूलाओं में भी मूल सामाजिक गोत्र नहीं है, उनमें अस्थाई स्थानीय समूह और पारिवारिक इकाइयां हैं, वे संस्था की अपेक्षा व्यक्ति पर बल देते हैं। भाल, पण्डरामो तथा भाल, भलारखरो के यहां गोत्र नियम नहीं हैं। उनमें विवाह दूर के समुदायों के साथ होता है, जिनके साथ नाम मात्र का सम्बन्ध हो या रक्त सम्बन्ध कदापि नहीं होता है।

इस प्रकार भारतीय जनजातियों के सामाजिक जीवन में गतिशीलता के परिप्रेक्ष्य में देश की विभिन्न जनजातियों में, सामाजिक संगठन में द्रुत गति से परिवर्तन की स्थिति पाई गई है। देश के विभिन्न क्षेत्र, राज्यों एवं मध्यप्रदेश के विभिन्न जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों व जिलों की भांति अध्ययन क्षेत्र जिला रीवा के सभी विकासखण्ड, जनजातीय विकासखण्डों, जनजाति बाहुल्य ग्रामों में निवासरत अनुसूचित जनजातियों में जैसे–कोल, गोड़, बैगा, आदि जनजातीय कुल समूहों का वितरण पाया जाता है। यहां पर अनेक जनजातियों के सामाजिक संगठन अंतर्गत भिन्न–भिन्न कुल समूह, भिन्न–भिन्न गोत्र या गोत्र समूह आदि जनजातियों में पितृवंशीय कुल समूह पाये जाते हैं। यद्यपि देश एवं प्रदेश की भांति जिले के जनजातीय सामाजिक संगठन पर पश्चिमी सभ्यता और नगरीकरण एवं आधुनिक संचार के साधनों का प्रतिकूल प्रभाव, इनकी संस्कृति पर दृष्टिगोचर हो रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव इनकी मूल संस्कृति, रीति–रिवाज, रहन–सहन, वेशभूषा, खान–पान, परम्परा, सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं पर पड़ा है। जिले की जनजातीय समूहों, संगठनों की मूल संस्कृति में बदलाव तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक परिवर्तन आयी है, यहाँ के जनजातियों में संयुक्त परिवार के प्रति परिवर्तन, सजातीयता, परम्परावादिता तथा "हम भावना" जैसे पारम्परिक विशेषताओं में अनेक सामाजिक समूहों और सामाजिक संगठनों में बदलाव की स्थिति आ चुकी है। जनजाति बाहुल्य ग्रामों में भी सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता की स्थिति उत्पन्न हुई है। जनजातियों में सामुदायिक भावना भी पहले की अपेक्षा अब बहुत कम हुई है। जनजातियों की बढ़ती आवश्यकता, आधुनिकता, सामाजिक परिवर्तन, रीति–रिवाज, उत्सव एवं त्यौहारों को मानने के तौर तरीकों के चलते आत्मनिर्भरता में कमी आ रही है। इनके ग्रामों, निवास स्थानों में पूर्णतः लोप नहीं हुआ है। आज भी बहुत कुछ अर्थों में लघु समुदाय की विशेषताओं को लिए हुए है। जिले का जनजातीय समाज अनेक छोटे–छोटे संगठनों और समूहों में जीवन निर्वाह कर रहे हैं ये लोग कृषि, पशुपालन, वनोपज कृषि, श्रमिक, आदि के द्वारा भोजन आवास और वस्त्र तथा अन्य अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। क्षेत्र की जनजाति लगभग स्थायी कृषि करते हैं किंतु अशिक्षा, अज्ञानता और जागरूकता का अभाव एवं आर्थिक समस्या के कारण अच्छे बीजों के प्रयोग की कमी, सिंचाई की कमी, समतल एवं उपजाऊ भूमि का अभाव के चलते इनकी अर्थव्यवस्था में कृषि का भरपूर योगदान नहीं मिल पा रहा है। ये लोग अपने स्थानीय साधनों के अनुरूप कृषि कार्य में संलग्न पाये गये हैं।

निष्कर्ष –

निष्कर्षतः अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था काफी विस्तृत पायी गयी है। इनका समुदाय अनेक उपजनजातियों के समूह से मिलकर बना है। अतः इनके समाज में शिक्षा, संचार, आवागमन की सुविधा में विस्तार के चलते गतिशीलता संभव हो सकी है। जिले की कोल जनजाति, भाग्यवादी, अंधविश्वासी, आलसी पाये गये हैं, ये लोग सामाजिक कार्यों में अपनी पुरानी परम्पराएँ, रीति–रिवाजों को अपनाते हैं तथा बहुत संतोषी प्रवृत्ति के ज्ञात हुए हैं। सामाजिक कार्यों में लगे लोग अपने कुल समूह में संगठित रहते हैं। शादी विवाह में भोज का आयोजन करते हैं इनके भोजन में बकरे की बली चढ़ाने के बहुत शौकीन होते हैं,

शादी विवाह में उम्र का ध्यान नहीं देते लड़कियों की शादी कम उम्र में करने की प्रथा है। नवरात्रि में ये लोग देवी गीत, भगत, तथा होली, दशहरा, दीवाली, रामनवमी कृष्ण जन्माष्टमी आदि का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जिले में कोल समाज के लोग संयुक्त परिवार में रहना नहीं पसन्द करते हैं। लड़का लड़की का विवाह के बाद पारिवारिक हिस्सा बाट कर लेते हैं। एक परिवार में रहना अधिक पसन्द करते हैं, किंतु हिन्दू धर्म से जुड़े संस्कार के प्रति इनकी प्रगाढ़ आस्था एवं विश्वास रहती है, देवी देवताओं की पूजा बड़ा निष्ठा एवं लगन से करते हैं। तथा अन्य जातियों की तुलना में कोल जनजाति निहायत ईमानदार, मेहनती तथा अपने धर्म के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं।

संदर्भ –

1. पर्यावरण एवं जनजातियाँ – अस्तित्व के लिये समीकरण, शोध पत्रिका, शासकीय महाविद्यालय, अम्बिकापुर, वर्ष 1995 ।
2. विजय कृष्ण – भारत की जनजातियाँ तथा संस्थायें, लखनपाल एण्ड कम्पनी, देहरादून, संस्करण 1960 ।
3. खर्कवाल, एम.सी. एवं पुरोहित, के.सी. – सांस्कृतिक भूगोल, नूतन पब्लिकेशन, कोटद्वार, उत्तरप्रदेश, संस्करण 1991.
4. शंकर कमला – रीवा संभाग के आदिवासी क्षेत्रों का भौगोलिक अध्ययन, अप्रकाशित पीएच.डी. शोध प्रबंध, अ. प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, वर्ष 1988।
5. मिश्रा, बी.एल. – कोल जनजाति सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण, शोध प्रबंध, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा, वर्ष 1951 ।